

ॐ  
७

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका



माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार यादव ने आसन से आग्रह किया कि विधायक आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाया जाय,  
माननीय सदस्य, श्री शत्रुघ्न महतो ने आसन के माध्यम से सदन को अवगत कराया कि चान्दो सहित चार अन्य विद्यालयों में छात्र नहीं हैं जिसपर सरकार द्वारा संज्ञान लिया जाय।

### 3. शून्यकाल:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाएँ निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी:-

श्री शत्रुघ्न महतो,  
श्रीमती लोईस मराण्डी,  
श्री जिगा सुसारन होरो,  
श्री संजीव सरदार,  
श्री भूषण तिकी,  
श्री अरूप चटर्जी,  
डॉ० नीरा यादव,  
श्री नरेश प्रसाद सिंह,  
श्रीमती मंजु कुमारी,  
श्री अनन्त प्रताप देव,  
श्री संजय कुमार सिंह यादव,  
श्री सुरेश पासवान,  
श्री राम सूर्या मुण्डा,  
श्री राज सिन्हा,  
श्री दशरथ गागराई,  
श्री अमित कुमार यादव,  
श्रीमती ममता देवी,  
श्री मथुरा प्रसाद महतो,  
श्री धनंजय सोरेन,  
मो० ताजुद्दीन,  
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,  
श्री सुरेश कुमार बैठा,  
श्री नागेन्द्र महतो,  
श्री सोमेश चन्द्र सोरेन,  
श्री समीर कुमार मोहन्ती।

### 4. ध्यानाकर्षण की सूचनाएँ:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-147 के तहत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिये गये वक्तव्य निम्नवत् हैं-

I-माननीय सदस्य, श्री रोशनलाल चौधरी एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,  
II-माननीय सदस्य, श्री जनार्दन पासवान द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,  
III-माननीय सदस्य, श्री सुदीप गुड़िया एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,  
IV-माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार चौरसिया द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,  
V-माननीय सदस्य, डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

vi-माननीय सदस्या, श्रीमती रागिनी सिंह द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

#### 5.संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य:-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव के द्वारा पूर्व में सदन के समक्ष लायी गयी गैस किल्लत की समस्या की सूचना पर उत्तर देते हुए इसकी किल्लत को स्वीकार करते हुए विस्तारपूर्वक वक्तव्य दिया गया।

#### 6.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना-

I-आसन की अनुमति से श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में, "भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए (झारखण्ड सरकार, वर्ष-2025 की प्रतिवेदन संख्या-5" निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा-वाणिज्यिक") से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सभा पटल पर उपस्थापित किये जाने के पूर्व यह जनता में बिद्वी के लिए प्राप्य हो" सदन पटल पर रखा गया जो ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

II-आसन की अनुमति से वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

#### 7.आसन से सूचना:-

I-आसन द्वारा अवगत कराया कि झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र की समाप्ति के पूर्व लोक भवन, राँची में आज दिनांक-16.03.2026 को 07.30 बजे अप० से माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया गया है जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा आसन के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया गया है कि इसमें सभी माननीय सदस्य निश्चित रूप से शामिल हों। रात्रि भोज में निर्धारित समय से 10.00 मिनट पूर्व सभी माननीय सदस्य उपस्थित होने की कृपा करेंगे।

II-आसन से अवगत कराया गया कि आज सदर अस्पताल, राँची द्वारा सभा सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर स्थित औषधालय में रक्त दान शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें इच्छुक माननीय सदस्य रक्तदान करना चाहेंगे।

#### 8.वित्तीय कार्य:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री दीपक बिरुवा द्वारा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 01,17,99,02,000/- (एक अरब, सत्रह करोड़, नित्यानवे लाख, दो हजार) रुपये से अनधिक राशि की माँगें प्रस्तुत की गयी। माननीय सदस्य, श्री जयराम कुमार महतो द्वारा इस माँग से सम्बन्धित कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

#### 9.वित्तीय कार्य(क्रमांक-8 से जारी):-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद में माननीय सदस्य, श्री जयराम कुमार महतो द्वारा चर्चा प्रारम्भ किया गया जिसमें निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी भाग लिया:-

श्री अमित कुमार,

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री रामचन्द्र सिंह ने आसन ग्रहण किया।)

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

श्री प्रदीप यादव,

श्री सुरेश पासवान,

श्री अरूप चटर्जी,

श्री सरयू राय,

श्री सगीर कुमार मोहंती,

श्री राज सिन्हा,

(इस अवसर पर सदन की सहमति से सभा की कार्यवाही समाप्ति तक समय विस्तारित किया गया।)  
श्रीमती श्वेता सिंह।

#### 10.द्वितीय पाली की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्री जयराम कुमार महतो द्वारा सूचना के माध्यम से आग्रह किया गया कि पेंशन निदेशालय में निदेशक का पद रिक्त है जिससे पेंशन सम्बन्धी कार्य बाधित है अतएव यथाशीघ्र इस पर नियुक्ति की जाय,

माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव द्वारा सूचना के माध्यम से आग्रह किया गया कि राज्यकर्मियों के लिए वर्तमान स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन करते हुए पुरानी व्यवस्था भी बहाल की जाय अथवा ऐच्छिक रखा जाय जिससे कर्मी किसी एक योजना का चुनाव कर सकें,

माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र सिंह द्वारा सूचना के माध्यम से आग्रह किया गया कि लातेहार जिला के भू-सर्वे में काफी त्रुटि है जिसमें यथाशीघ्र सुधार कराया जाय।

वाद-विवाद के उपरांत माननीय प्रभारी मंत्री, श्री दीपक बिरुवा द्वारा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) की माँग पर सभा में सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

तदुपरांत माननीय सदस्य, श्री जयराम कुमार महतो द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ तथा सभा द्वारा माँग स्वीकृत हुई।

(सरकार के उत्तर के क्रम में विपक्षी दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

इसके उपरांत आसन द्वारा वित्तीय वर्ष-2026-27 की अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2027 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए मुखबंद द्वारा समेकित रूप से माँग संख्या-02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एवं 60 का प्रस्ताव ध्वनिमत से सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

#### 11.विधायी कार्य:-

##### “झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2026”

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया। पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 एवं खण्ड-03, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् “झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2026” सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक-17.03.2026 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,

दिनांक-16 मार्च, 2026 ई०।

रंजीत कुमार,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।